झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- 26, फाल्गुन, 1942 (श०) / 17 मार्च, 2021 (ई०) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र० सं०	विभागों को भेजी गई सं०सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
'क' 162.	अ०सू०-14	डा० सरफराज अहमद	निविदा का निष्पादन।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.21
214.	अ०सू०-29	श्री दुलू महतो	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	12.03.21
215.	अ०सू०-27	श्री सरयू राय	पेयजल की व्यवस्था करना।	नगर विकास एवं आवास	10.03.21
216.	अ०सू०-22	श्री प्रदीप यादव	योजना को पुरा करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	01.03.21
217.	अ०सू०-23	श्री प्रदीप यादव	योजना के अनुरूप कार्य।	ग्रामीण विकास	04.03.21
218.	अ०सू०-26	श्री सुदिव्य कुमार	परिवहन सुविधा देना।	परिवहन	10.03.21
219.	अ०सू०-25	श्री बंधु तिर्की	निष्पक्ष एजेंसी से जाँच।	नगर विकास	08.03.21
220.	अ०सू०-24	श्री विनोद कुमार सिंह	न्याय पंचायत का गठन।	ग्रामीण विकास	06.03.21
221.	अ०सू०-28	श्री सरयू राय	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	10.03.21

नोट :- 'क'-162, दिनांक-10.03.2019 को सदन द्वारा दिनांक-17.03.2021 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक- 17 मार्च, 2021 (ई०)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-1307/वि०स०, राँची, दिनांक- 13/3/21

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-1307/वि०स०, राँची, दिनांक- 13/3/21

प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-1307/वि०स०, राँची, दिनांक- 13/3/21

प्रतिलिपि:-कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

अरुण

निविदा का निष्पादन ।

उत्तर मुद्रित

"क" 162. डॉ० सरफराज अहमद--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि Start up Policy, 2016 के द्वारा झारखण्ड सरकार ने 50000000/- (पाँच करोड़) रु०ग तक के निविदा आमंत्रण में EMD जमा में Earnest money एवं Experience में छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे संबंधित आदेश मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-376/CS, दिनांक 10 अप्रैल, 2019 के द्वारा सभी प्रधान सचिव एवं सचिव को निर्गत किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के सभी विभागों में निविदा का निष्पादन इसी योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि सिर्फ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी Start up Policy, 2016 के तहत आमंत्रित निविदाओं का निष्पादन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर--(1) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-376/CS, दिनांक 10 अप्रैल, 2019 में निम्न तथ्य वर्णित है :-

Jharkhand Start up Policy, 2016 & its amendments/addendums, Clause 2.4.2, point 9-Local Preference in tender :-

The Local Start up which are registered or incorporated in Jharkhand shall be entitled for :

(a) Exemption from prior experience and turnover criteria of the tenders : In order to promote Startups, State Government shall exempt Startups from the criteria of "prior experience/turnover" for the procurement. The exemption on procurement of order value are as below :

I. Up to INR 5.0 (five) crore : Complete waiver in turnover and experience criteria.

II. Above INR 5.0 (five) crore : No waiver in turnover and experience criteria.

The Startups will also have to demonstrate requisite capability to execute the project as per the requirements and must meet quality standards or technical parameters as specification in the tender for the exemption.

2. इसकी सूचना नहीं है ।

3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं O & M का कार्य उच्च तकनीकी प्रकृति तथा मानवीय स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है । गैर-अनुभवी संवेदकों के द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं O & M का कार्य करने से कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ पेयजल के मानकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है । साथ ही खण्ड-01 में वर्णित नियम के अनुसार गुणवत्ता एवं तकनीकी मानक/योग्यता पूरा करने के बाद ही नये Startup को कार्य आवंटित किया जा सकता है ।

4. उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

नोट-"क" 162 दिनांक 10 मार्च, 2019 को सदन द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2021 के लिए स्थगित ।

श्री दुलू महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–29" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद स्थित बसंती चौक (खानुडीह) से दामोदा पुल तक सड़क की लम्बाई 7 km है जो पूर्व में जिला परिषद् का था जिसे पथ निर्माण विभाग को Transfer कर दिया, परन्तु निर्माण नहीं किया गया है;	प्रश्नगत पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का पथ नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि यह पथ दो जिले धनबाद एवं बोकारो को जोड़ती है और बोकारो जिला के पहुँच पथ का निर्माण दामोदर पुल तक बन गया, परन्तु धनबाद की ओर सम्पर्क पथ का निर्माण नहीं होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	झारखण्ड सरकार, पंचायती राज विभाग (पंचायत राज निदेशालय) के संलग्न ज्ञापांक–1258 दि0–26.09.2007 द्वारा राज्य के जिला परिषद के सड़कों में 20.00 कि0मी0 से अधिक लम्बाई के पथों को ही पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। 20 कि0मी0 से कम लंबाई के पथों को ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को हस्तांतरित किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि दो जिले को जोड़ने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है और सम्पर्क पथ के निर्माण नहीं होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	वर्णित स्थिति में प्रश्नगत पथ के स्वामित्व वाले प्राधिकार/विभाग से इस पथ के निर्माण/उन्नयन हेतु विभाग द्वारा आग्रह किया जायेगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–05/2021 1041(5) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1265 दिनांक 12.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–05/2021 1041(5) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–05/2021 1041(5) राँची/दिनांक : 16/03/21
प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th colspan="3">उत्तर</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">क्या यह बात सही है कि राज्य के राँची, जमशेदपुर, धनबाद आदि शहरों में पेयजल एवं अन्य सुविधाओं की आपूर्ति सामान्य नागरिकों को नहीं हो पा रही है;</td><td colspan="3">आंशिक स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>राँची</td><td>धनबाद</td><td>जमशेदपुर</td></tr>
<tr><td>वर्तमान में राँची नगर निगम द्वारा दिए गए जल संयोजन की संख्या–46439 अदद। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डलों द्वारा दिए गए जल संयोजन की संख्या– 65900 कुल 1,12,339 अदद है।
निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना के पूर्ण होने पर अनुमानित 35007 अदद नये जल संयोजन दिया जा सकेगा।
AMRUT योजना अन्तर्गत जलापूर्ति पाईपलाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही, राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 13 जलमीनार बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 4 जलमीनार बनकर तैयार हो चुका है।</td><td>वर्तमान में धनबाद नगर निगम के कुल 55 वार्डों के 68% क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। जल संयोजन की संख्या 52351 है।
शेष क्षेत्र हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है जिससे 75000 नये जल संयोजन दिया जा सकेगा।</td><td>जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत मोहरदा, बिरसानगर, बारीडीह, बागुनहातु आदि क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जुस्को लि० कमाण्ड एरिया अन्तर्गत जुस्को लि० के द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही साथ कतिपय बस्तियों को भी जलापूर्ति की जा रही है। शेष बचे हुये क्षेत्रों में जुस्को द्वारा नयी पाईन लाईन बिछाकर वर्ष 2022 तक पेयजल आपूर्ति किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर के अनेक क्षेत्रों जैसे– भुईयाडीह, छायानगर, ग्वाला बस्ती, लाल भट्ठा, बिनोबा आश्रम–2, इन्दर सिंह बस्ती में पेयजल एवं जलमल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं;</td><td colspan="3">i) प्रश्नगत बस्तियों में जमशेदपुर अ०क्षे०स० के द्वारा पानी टैंकर एवं चापाकल अधिष्ठापित कर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। शेष बचे हुये क्षेत्रों में नयी पाईन लाईन बिछाकर वर्ष 2022 तक जुस्को द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जलमल की निकासी हेतु नालियों का निर्माण व बड़े नालों का सुदृढ़ीकरण, सफाई कर्मियों की नियुक्ति, प्रति सप्ताह ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग आदि कार्य किये जा रहे हैं।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल एवं जलमल निकासी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</td><td colspan="3">उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

ज्ञापांक–06 / वि०स० / अ०सू०–03 / 2021 / न०वि०आ०....1086 राँची, दिनांक–...16-03-21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा०सं०प्र०–1201, दि०–10.03.2021 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव।

& Answer.docx

श्री प्रदीप यादव, माननीय स. वि. स. द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं.–22 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार को "जल जीवन मिशन" के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित 50.28 लाख घरों तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से स्वच्छ जल नल के माध्यम से उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अब तक मात्र 3.42 लाख घरों की योजनायें पूरी हुई है और उसमें भी 50% से अधिक योजनायें असफल साबित हुई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 7.04 लाख घरों में कार्यरत घरेलू गृह संयोजन (FHTC) किया जा चुका है। साथ ही पूर्व से निर्मित योजनाओं को "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत retrofitting के तहत सुदृढ़ करते हुए गृह संयोजन उपलब्ध कराने हेतु योजनाएँ स्वीकृत किया गया है जिसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने संपूर्ण गोड्डा जिला एवं दुमका जिला के दो प्रखंडों (सरैयाहाट एवं जरमुंडी) के सभी घरों तक गंगा नदी से पेयजल आपूर्ति योजना पर काम कर रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 'जल जीवन मिशन' के तहत गोड्डा जिला के सभी प्रखंडों, दुमका जिला के सरैयाहाट तथा साहेबगंज जिले के तीन प्रखंडों–तालझारी, बोरियो एवं मंडरो के सभी पंचायतों के सभी ग्रामों को गंगा नदी से पेयजलापूर्ति योजना से आच्छादित किये जाने हेतु DPR निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड को मसानजोर डैम से पेयजलापूर्ति बहु ग्रामीण योजना (MVS) योजना से करने पर कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या लक्ष्य से पीछे चल रही इस महत्वकांक्षी योजना समय पर पूरा हो इसके लिए सरकार कौन–सा प्रभावी कदम उठायेगी, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त वर्णित प्रखंडों में गंगा नदी से पेयजलापूर्ति योजना का DPR (Detailed Project Report) तैयार करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/अ.सू.–05/2021 -278/SWSM दिनांक 16/03/2021
प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 748/वि. स. दिनांक–01.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:–8/अ.सू.–05/2021 -278/SWSM दिनांक 16/03/2021
प्रतिलिपि–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र. – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(217)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–23 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से पूरे प्रदेश में मनरेगा योजना मजदूरों को रोजगार देने के लिये चल रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि मनरेगा कानून (दिशा–निर्देश) के इतर जाकर मनरेगा आयुक्त ने योजनाओं के चयन में ग्राम सभाओं की भूमिका को दरकिनार कर JSLPS के द्वारा योजनाओं का चयन एवं साथ ही सामाजिक अंकेक्षण के बदले JSLPS (सरकारी सोसाईटी) से अंकेक्षण कराने का निर्देश जारी किया है, जो एक्ट के विरूद्ध है;	अस्वीकारात्मक। i. मनरेगा अन्तर्गत सभी योजनाओं का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ii. मनरेगा योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 24 (i) के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऑडिट ऑफ स्कीम रूल, 2011 के आलोक में गठित सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा CAG के सहयोग से निर्मित तथा भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक – FNo. L-11033/40/2016-RE-VII दिनांक 19.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये Auditing Standards के अनुरूप किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि लॉकडाउन के समय मनरेगा के तहत विशेष योजना (बिरसा उद्यान योजना) के अन्तर्गत लगाये गये अधिकांश पेड़ लापता है;	अस्वीकारात्मक। सभी जिला के जिला कार्यक्रम समन्वयक–सह–उप विकास आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगाये गये पौधों के लापता संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं है। सभी जिला द्वारा जीवोपरान्त अद्यतन पौधों की उत्तरजीविता 88.7% प्रतिवेदित की गयी है। मृत पौधों को भी आगामी मॉनसून में बदल दिया जायेगा।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को मनरेगा कानून के अनुरूप जमीन पर सही ढंग से उतारना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में उत्तर स्पष्ट किया गया है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–240/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 – (M) 396 राँची, दिनांक 16.3.2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 934 दिनांक 04.03.2021 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.03.2021

(घनश्याम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–240/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 (M) 396 राँची, दिनांक 16.3.2021

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.03.2021

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग 28
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक–17–03–2021 को श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–26 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदिव्य कुमार माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह सहित राज्य के अधिकांश जिलों में जनता के आवागमन हेतु सरकार के स्तर से किसी भी प्रकार की बस की सुविधा नहीं है ;	–	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा गिरिडीह सहित राज्य के सभी जिलों में जनता के आवागमन के लिए निजी बसों के परिचालन हेतु परमिट की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण जनता को निजी बस से यात्रा करना पड़ता है जिसके कारण जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है ;	–	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह सहित राज्य के सभी जिलों में परिवहन सुविधा सुगम बनाने के निमित्त सरकारी स्तर पर सी०एन०जी० आधारित बस चलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि गिरिडीह सहित राज्य के सभी जिलों में सरकारी स्तर पर सी०एन०जी० आधारित बस चलवाने का सम्प्रति विचार नहीं है। निजी वाहन स्वामियों के द्वारा सी०एन०जी० आधारित बस चालन हेतु वांछित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार परमिट निर्गत करने के निमित्त विभाग प्रवृत्त होगा।

16/3/21
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–55/2021 303 /राँची,दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1200, दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–55/2021 303 /राँची,दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–17.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–25 का उत्तर–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि श्री निरंजन कुमार, तत्कालीन सचिव, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के पत्रांक–182, दिनांक–12.03.2020 में उल्लेखित झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के क्रिया–कलापों तथा योजना, निविदा कार्य, निर्मित फ्लैटों के विक्रय भू–खण्डों के स्वामित्व आवंटन, हरमू स्थित सब्जी मण्डी के राजस्व, बोर्ड मुख्यालय भवन निर्माण इत्यादि में अनियमितताओं से संबंधित बिन्दुओं पर जाँच हेतु विभागीय स्तर पर विशेष दल का गठन किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश संख्या–68, दिनांक–01.06.2020 सह पठित ज्ञापांक–1512, दिनांक–01.06.2020 के अनुपालन में दिनांक–09.06.2020 तथा 12.06.2020 को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय तथा विभिन्न स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर तथ्यों की जाँच की गयी ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि जाँच दल के प्रतिवेदन झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची सहित अन्य प्रमण्डलों में आवासों का अतिक्रमण, बहुमंजिला इमारत निर्माण में अनियमितताएँ, संवेदकों के चयन में पक्षपात, सम्पदाओं के निर्माण में निहित प्रक्रिया की निरंतर अवहेलना का उल्लेख है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन अनियमितताओं की जाँच किसी निष्पक्ष एजेंसी से जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड से अपना पक्ष समर्पित करने का निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा अपना पक्ष विभाग के समक्ष समर्पित किया गया। विभागीय जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पक्ष की विभागीय समीक्षोपरांत, लगाये गये कतिपय आरोपों पर विभागीय पत्रांक–3372 दिनांक– 30.12.2020 एवं पत्रांक–3371 दिनांक–30.12.2020 के द्वारा अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को दिया गया है। दिनांक–15.03.2021 को आवास बोर्ड से मेलजनित कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वांछित बिन्दुओं पर अनुपालन/कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

ज्ञापांक–07/विधान सभा (अ०सू०–25)–02/2021/न०वि० 1085 राँची, दिनांक– 16-03-2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञाप सं०प्र०–1092 दिनांक– 08.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव।

220

माननीय स०वि०स० श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जाने वाला अ०सू० प्रश्न सं०–24 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम में न्याय पंचायत का गठन शामिल नहीं है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि प्रायः न्याय पंचायत के अभाव में ग्रामीण विवाद बड़े फौजदारी व विधि व्यवस्था की समस्या धारण कर लेते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्याय पंचायत की गठन कर न्याय पंचायत की चुनाव कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र सरकार के ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के आलोक में विधि विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य में ग्राम न्यायालय का गठन किया जा रहा है। सम्प्रति प्रथम चरण में छः प्रखण्ड में ग्राम न्यायालय के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है जो निम्नवत है :– 1. मधुपुर– देवघर 2. मांडर– राँची 3. बहरागोड़ा– पूर्वी सिंहभूम 4. बुण्डू– राँची 5. जरमुण्डी– दुमका 6. कोडरमा– कोडरमा

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 16/2021 ......640....../, राँची, दिनांक :– 15.3.2021
प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1015 दिनांक 06.03.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 16/2021 ......640....../, राँची, दिनांक :– 15.3.2021
प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

15/3/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 16/2021 ......640....../, राँची, दिनांक :– 15.3.2021
प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/21
सरकार के उप सचिव।

सुमित/09.03.2021

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(221)

श्री सरयु राय, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–'अ0सू0–28' का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
संख्या–अ0सू0–28 क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि 22.10.2020 को झारखण्ड की राजधानी की एक प्रमुख सड़क राजभवन से बूटी मोड़ भाया बरियातु पथ के उन्नयन योजना को नगर विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया गया है ;	यह पथ, राँची–बरियातु पथ, जो (एल0पी0एन0 शाहदेव चौक से शुरू होकर बूटी मोड़ तक है, पथ निर्माण विभाग की वृहद जिला पथ (Major District Road) है। इसकी संख्या MDR-004 है। इसकी कुल लंबाई–8.00 कि0मी0 है। राजभवन से बूटी मोड़ भाया बरियातु रोड नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–2630 दिनांक–22.10.2020 द्वारा भविष्य के निर्माण कार्य हेतु पथ निर्माण विभाग को लौटाया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग ने इस पथ के साधारण मरम्मति के लिये (करीब) रु0 49,95,800 का प्राक्कलन तैयार किया है, जबकि नगर विकास विभाग की संस्था जुडको ने स्थानांतरित करने के ठीक पहले इस पथ की साधारण मरम्मति के लिये रु0 24,49,800 का टेंडर प्रकाशित किया था ;	उल्लेखनीय है कि इस पथ पर नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से पथ के उन्नयन हेतु पूर्व में कार्यवाई की गई थी। इसके निर्माण हेतु एकसरनामा की राशि ₹188.18 करोड़ थी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कांटाटोली फलाईओवर एवं इस पथ के damaged portion के "emergent repair" (आपात मरम्मति) हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी जिसकी कुल राशि ₹24,15,679/– थी। इसमें बरियातु रोड हेतु प्राक्कलित राशि ₹15,20,138/– थी। यह एक आपात मरम्मति (emergent repair) का प्रस्तावित कार्य था।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस पथ को पथ निर्माण विभाग को सौंपने की नीति क्या है साथ ही एक ही पथ के निर्माण के लिये दो विभागों के प्राक्कलन में दोगुना से भी ज्यादा अंतर का कारण और इसके जिम्मेदार पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त संकल्प द्वारा यह पथ निर्माण विभाग को लौटा दिए जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा पथ की स्थिति के अनुसार पूरे पथ (एल0पी0एन0 शाहदेव से बूटी मोड़), जिसकी लंबाई–8.0 कि0मी0 है, की साधारण मरम्मति (Ordinary Repair) हेतु निविदा प्रकाशित की गई। पूरे पथ के साधारण मरम्मति की प्राक्कलित राशि ₹9987704.00 है न कि ₹4995800.00। अतः दो विभागों के प्राक्कलन में अंतर का कारण दो अलग किस्म के मरम्मति (Different nature of repair) के प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–04/2021 1037(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1202 दिनांक 10.03.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–04/2021 1037(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–अ०सू०–04/2021 1037(5) राँची/दिनांक : 16/03/21

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

ह०/– 16/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।